

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
 कासु लाल बनाम फिरोज  
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 168/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  |
|-------------|---|
| 8.5.25      | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कासु लाल डोगी</u></p> <p>पिता श्री <u>रूप लाल डोगी</u></p> <p>निवासी- <u>डेवरी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....<br/> <u>डेवरी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>799/844</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.5700</u> है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>डेवरी</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>799/844</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.57</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पाच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीनू देवल)<br/>       सहायक कमिश्नर एल<br/>       उपखण्ड अधिकारी<br/>       चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |